न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 12/2019

नवाब अली राठोड़ एडवोकेट, चेम्बर नम्बर–133 ई ब्लॉक राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक 13.5..2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 20–2–2019 को आवेदन प्रस्तुत किया था। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत चाही जा रही सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को उक्त प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत पत्र कमांक 158 दिनांक 26–2–2019 से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को अन्तरित कर सूचना देने हेतु निर्देशित किया। प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निम्न सूचना चाही गई है:–

1–कस्बा टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 564 रकबा 0.67 है0 किस्म चरागाह का आवण्टन जाट विकास समिति टोडारायसिंह को किसान छात्रावास हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवण्टन राशि जमा करवाई गई है या नहीं अगर जमा करवाई गई है तो कितनी राशि जमा करवाई गई है उसकी रसीद की प्रतिलिपि।

2–किसान छात्रावास के संचालन के लिए समिति का गठन किया गया है या नहीं किया गया है तो कब किया गया व समिति के पदाधिकारी व सदस्यों की सूची की प्रतिलिपि।
3–क्या समिति में सभी जाति/वर्ग/समुदायों के लोगों को सम्मिलित किया गया है या नहीं के सम्बन्ध में दस्तावेज की प्रतिलिपि।

4– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका में निर्णय दिनांक 11–12–2017 के अनुसार खसरा नम्बर 564 रकबा 0.67 है0 पर ही छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है या 0.67 है0 से अधिक पर निर्माण कार्य हो रहा है के सम्बन्ध में दस्तावेजात की प्रतिलिपि।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

5– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार क्या छात्रावास का नाम एक समुदाय विषेश के नाम पर रखा गया है या सभी जाति/ वर्ग पर रखा गया है कि सम्बन्ध में दस्तावेजात की प्रतिलिपि।

6– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार छात्रावास का निर्माण कार्य व संचालन किया जा रहा है या नहीं के सम्बन्ध में दस्तावेजात की प्रतिलिपि।

7– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के लोक हित वाद याचिका संख्या 5612/2015 नाथूख़ॉ पटेल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में निर्णय दिनांक 11–12–2017 का अक्षरश पालन किया जा रहा है या नहीं के सम्बन्ध में दस्तावेजात की प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को पत्र कमांक 353 दिनांक 25–4–2019 द्वारा पत्र लिखा जाकर जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह ने पत्र कमांक 1681 दिनांक 10–5–2019 से जवाब प्रेषित कर अवगत कराया कि आवेदक को कार्यालय द्वारा पत्र कमांक 1216/भू0अ0/19 दिनांक 18–3–2019 द्वारा सूचना के सम्बन्ध मे जवाबं प्रेषित किया जा चुका है जवाब की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न की गई है। चूॅकि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में जवाब भिजवा दिया गया है तथा पुनः एक प्रति प्रेषित की गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner